संख्या– 1250 / 15–7–2021–1(20) / 2020

प्रेषक,

आराधना शुक्ला,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2– शिक्षा निदेशक(मा0) एवं सभापति,
माध्यमिक शिक्षा परिषद
उ0प्र0, लखनऊ।

3– सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उ0प्र0, प्रयागराज।

4– समस्त संयुक्त शिक्षा निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश।

5– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–7 **लखनऊः** **दिनांक 30 जून, 2021**

विषयः–प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डो के समस्त माध्यमिक विद्यालयों (नवोदय एवं आवासीय विद्यालयों सहित) को कोविड–19 के समस्त प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुये प्रशासनिक कार्यों हेतु खोले जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–9 / 2021 / 1017 / 15–7–2021(20) / 2020, दिनांक 10 मई, 2021 द्वारा कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डो के समस्त माध्यमिक विद्यालायों को 20 मई, 2021 तक बन्द किये जाने के साथ ही साथ शिक्षकों व अन्य कार्मिकों को वर्क–फ्राम–होम करने की अनुमति प्रदान की गई थी। उपरोक्त के क्रम में शासनादेश संख्या– 10 / 2021 / 1038 / 15–7–2021(20) / 2020 दिनांक 18 मई, 2021 द्वारा प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डो के कक्षा–9 से 12 तक के समस्त माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 20.05.2021 से ऑनलाइन पठन–पाठन प्रारम्भ किये जाने के निर्देश दिये गये।

2– गृह (गोपन) अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–1054 / 2021–सीएक्स–3 दिनांक 19.06.2021 द्वारा कोविड–19 के शिक्षण संस्थानो के संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैः–

स्कूल, कालेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बन्द रहेंगे। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी। बेसिक / माध्यमिक / उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासकीय कार्यों हेतु विद्यालय आने–जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय तद्नुसार खोलने की अनुमति होगी।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त छात्रहित एवं सत्र को नियमित किए जाने के उद्देश्य से प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डो के कक्षा–9 से कक्षा–12 तक के समस्त माध्यमिक विद्यालयों को खोले जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैः–

1. कोविड–19 के समस्त प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये विद्यालयों को प्रशासनिक कार्यों हेतु 01 जुलाई, 2021 से खोला जाय।
2. प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डों के माध्यमिक विद्यालयों में पूर्व की भांति ऑनलाइन शिक्षण कार्य जारी रखा जाय।

Scanned by TapScanner

3. शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासकीय कार्यों हेतु विद्यालय आने–जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय तद्नुसार खोलने की अनुमति होगी।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीया,

30.06.2021

(आराधना शुक्ला)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–1250(1)/15–7–2021–1(20)/2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री उ0प्र0।
3. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. निजी सचिव, उप मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
7. निजी सचिव, राज्य मंत्री, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

IPS GO NEW

Scanned by TapScanner